न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल

एन0डी0पी0एस0–8 / 2023

राघोपुर थाना काण्ड संख्या– 55 / 2023

[I.A – 03/2024]

	दिनेश यादव पे0 भुवनेश्वर यादव, सा0– खोरावरतर वार्ड नं0 02, थाना– महिषी, जिला– सहरसा..............................आवेदक **बनाम्** **बिहार सरकार..............................विपक्षी**	
09 / 09 / 24 9/9/24	काराधीन अभियुक्त दिनेश यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन को विद्वान सत्र न्यायालय से अस्वीकृत होने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी कि0मि0नं0 73373 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 08 / 02 / 24 द्वारा अस्वीकृत किया गया है तथा उसके उपरान्त कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मुकदमा के अतिरिक्त एक मुकदमा नौहट्टा थाना कांड संख्या 155 / 20 लंबित है। प्रस्तुत मुकदमा संज्ञानोपरान्त न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है तथा आरोप गठन के पश्चात् कुल चार साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 08 / 02 / 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वो न्यायालय का हर शर्त मानने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया गया। विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद सूचक रजनीश कुमार केशरी पु0अ0नि0 रतनपुरा के लिखित आवेदन के आधार पर धारा **21(b)NDPS ACT 1985** के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि उसे दिनांक 08 / 02 / 2023 को गुप्त सूचना मिली कि रामनारायण चौधरी एवं गंगा चौधरी अपने साथी रंजीत कुमार यादव के साथ मिलकर रंजीत कुमार के घर पर काफी मात्रा में गांजा रखा है एवं रंजीत कुमार यादव के घर के सामने एक कार लगी है, जिसमें गांजा है वहां पर गंगा चौधरी तथा उसके साथ का एक व्यक्ति भी है। सूचक छापामारी दल तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी राघोपुर के साथ नापने वाले यंत्र, नारकोटिक्स डिटेक्शन किट लेकर 11.30 बजे ग्राम थलहा, वार्ड नं0 10 स्थित रंजीत कुमार यादव के घर पास पहुँचा तो देखा कि रंजीत कुमार के घर के दरवाजे पर एक **KWID RENAULT** कार रजि0 नंबर **BR-50L-9652** लगा हुआ है तथा उसमें तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। बीच वाले सीट पर बैठा व्यक्ति भाग गया। पुलिस बल के सहयोग से अन्य दो व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष पकड़ाये दोनो व्यक्तियों ने अपना–अपना नाम रंजीत कुमार यादव व दिनेश यादव बताया एवं भागने वाले के संबंध में पूछने पर उसका नाम गंगा चौधरी बताया। पूछताछ के कम में रंजीत कुमार यादव द्वारा बताया गया कि उक्त गाड़ी में गांजा है और गांजा वह अपने चाचा फुलेन यादव के सहयोग से उनके घर में गाड़ कर रखा है। रंजीत कुमार यादव द्वारा बताया गया कि वह स्वंय गंगा चौधरी एवं रामनारायण चौधरी उर्फ रामदेव चौधरी नेपाल से गांजा मंगाकर बेचता है। यह गांजा एक दिन पूर्व गंगा चौधरी एवं रामनारायण चौधरी नेपाल से मंगाये थे तथा दिनेश यादव द्वारा बताया गया कि वह कई वर्षो से गांजा बेचता है और यह भी बताया कि वह कार से गांजा लेने आया था और कार में गांजा लोड	**लगातार**

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल

एन0डी0पी0एस0–8 / 2023

राघोपुर थाना काण्ड संख्या– 55 / 2023

[I.A – 03/2024]

09 / 09 / 24 **लगातार**	किया। कार की तलाशी में पीछे डिक्की से तीन प्लास्टिक के बोरा में एवं बीच वाले सीट पर रखा एक काला रंग का प्लास्टिक का बोरा में गांजा बरामद हुआ, जिसमें चार प्लास्टिक के डब्बों में कुल 104 किलो गांजा पाया गया। पकड़ाये रंजीत कुमार यादव एवं दिनेश यादव के समक्ष सह–अभियुक्त फुलेन यादव के अर्द्धनिर्मित ईंटा के घर का तलाशी लिया तो ईटा घर के कमरा में बालू के नीचे छुपाकर रखा पांच प्लास्टिक के बोरा में रखा अवैध गांजा कुल 142 किलो पाया गया। सूचक द्वारा दोनो पकड़ाये गये व्यक्ति से बरामद गांजा के संबंध में कागजात मांगने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया तत्पश्चात् दोनो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाकर जब्त किया तथा दोनो पकड़ाये गये व्यक्ति को विधिवत गिरफतारी मेमो बनाकर गिरफतार किया। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस मामलें में आवेदक अभियुक्त पर अंतर्गत धारा **20(b)(ii)(c)/29 N.D.P.S 1985 Act** के तहत् आरोप का गठन किया गया है तथा इस मामले में आवेदक अभियुक्त की कार से 104 किलो गांजा बरामद हुआ तथा उसकी निशानदेही पर सह–अभियुक्त फुलेन यादव के अर्द्धनिर्मित घर के कमरे से 142 किलो गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजा के संदर्भ में एफ0एस0एल प्रतिवेदन के अनुसार गांजा पाया गया। प्रस्तुत मामलें में कुल 246 किलो गांजा की बरामदगी की गयी है जो व्यवसायिक मात्रा **(Commercial Quantity)** के अंतर्गत आता है। प्रस्तुत मामले में संज्ञानोपरांत आरोपों का गठन किया जा चुका है तथा कुल 9 अभियोजन साक्षियों में से 4 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है। यहां यह भी उल्लिखित करना आवश्यक है कि आवेदक अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन सत्र न्यायालय से अस्वीकृत होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी क्रि0मि0नं0 73373 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 08 / 02 / 24 द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा वाद के वर्तमान चरण को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त **दिनेश यादव** का **जमानत आवेदन अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित Nishi Kant Thakur 9/9/24 (निशि कांत ठाकुर) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय–सह विशेष न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0, सुपौल	